Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Supply Appeal No.- 217/2021

Belal Kadri ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	06.10.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद जिला दंड़ाधिकारी, कटिहार द्वारा आपूर्त्ति वाद सं0–18/2020–21 में दिनांक–25.12.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदक दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम पंचायत–हसारोई, प्रखंड–बारसोई, जिला–कटिहार के अंतर्गत अपीलार्थी सहित कुल 223 लाभुकों के द्वारा उत्तरवादी सं0–02 जहरूल हक, जनवितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई के समक्ष परिवाद पत्र समर्पित किया गया जिसे प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी को जाँच हेतु भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई ने पत्रांक–662 दिनांक–05.09.2020 द्वारा उत्तरवादी सं0–02 की अनुज्ञप्ति सं0–03/1990 को रद्द कर दिया गया। जिसके विरूद्ध उनके द्वारा समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष आपूर्त्ति अपील सं0–18/2020–21 दायर किया गया जिसमें निम्न न्यायालय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी एवं अन्य जो उक्त पंचायत के वार्ड सं0–5, 6, 10 के कार्डधारी उपभोक्ता हैं इनके द्वारा समर्पित आवेदन में अनुज्ञप्तिधारी डीलर के विरूद्ध यह शिकायत की गई कि उन्हें अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत अनाज नहीं दिया जा रहा है, जबकि इन्हें पूर्व में प्राप्त था। डीलर द्वारा उपभोक्ताओं से नया राशन कार्ड निर्गत करने हेतु नाजायज राशि प्राप्त की गई। उनके द्वारा नियमित रूप से राशन वितरण नहीं किया जाता है एवं मशीन द्वारा निर्गत पर्ची भी नहीं दिया जाता है। बल्कि हस्तलिखित पर्ची निर्गत किया जाता है। राशन कार्ड में अंकित चार सदस्यों की जगह तीन सदस्यों को ही खाद्यान्न दिया जाता है। 35 किलो अनाज की जगह 30 किलो ही दिया जाता है एवं मूल्य 35 किलो का प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार P.H.H. कार्डधारियों को 5 किलो अनाज की जगह 4 किलो ही दिया जाता है तथा उपभोक्ताओं के साथ इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। फलतः 223 उपभोक्ता के द्वारा लिखित आवेदन समर्पित किया गया। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी ने	

WebCopy Not Official.

		जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया है कि डीलर द्वारा मानक वजन के साथ खाद्यान्नों का वितरण नहीं किया जाता है और अधिक मूल्य भी प्राप्त किया जाता है। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा पूर्व में चेतावनी देने के बावजूद भी क्रमशः	
	लगातार 06.10.2023	उनके क्रियाकलाप में कोई सुधार नहीं पाया गया। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई ने पत्रांक–569 दिनांक–29.07.2020 द्वारा उत्तरवादी द्वितीय पक्ष से कारण–पृच्छा की माँग की। इनके द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा को पर्याप्त नहीं पाते हुए पुनः पत्रांक–647 दिनांक–27.08.2020 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गई किन्तु उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाते हुए उनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया और आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी गई। निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों पर बिना सम्यक् विचार किये इनके अनुज्ञप्ति को पुनः बहाल करने का आदेश पारित कर दिया गया जो सही नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अटकलों पर आधारित तथा विधि विरूद्ध है। समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा न तो अपीलार्थी को और ना ही किसी परिवादकर्त्ता को सुनवाई में भाग लेने हेतु कोई सूचना निर्गत की गई, जो नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के प्रतिकूल है। वास्तविक तथ्यों के जाँच हेतु इनके पक्षों की सुनवाई की जानी चाहिए थी। समाहर्त्ता द्वारा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–02 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत द्वितीय अपील तथ्यों एवं कालबाधित होने के आधार पर पोषणीय नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई द्वारा इनके अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था जिसे समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अपीलार्थी इस उत्तरवादी को परेशान करने की नियत से कुछ ग्रामीणों को मेल में लेकर अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई के समक्ष परिवाद आवेदन दायर किया गया जिसके आलोक में प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी सही ढ़ंग से जाँच किये बिना ही समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में इनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। उत्तरवादी द्वारा निष्ठापूर्वक एवं नियमित रूप से जनवितरण प्रणाली दूकान का संचालन किया जाता है तथा सही मात्रा एवं मूल्य पर खाद्यान्नों की आपूर्त्ति की जाती है। अपीलार्थी का आरोप निराधार एवं तथ्यविहीन है। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन अपीलार्थी के मेल में आकर समर्पित किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इनके स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये आनन–फानन में इनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गई थी। अपीलार्थी द्वारा उठाये गये आधार साक्ष्यविहीन एवं तथ्यों से परे है। समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा	

Web Copy, Not Official.

		मामले की सुनवाई करते हुए सभी तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत आदेश पारित किया गया है जो सही है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता जहरूल हक द्वारा उपभोक्ताओं के बीच सही रूप से खाद्यान्नों का वितरण नहीं किये जाने के विरूद्ध स्थानीय ग्रामीणों एवं उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत किये जाने के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई द्वारा विपक्षी क्रमशः	
	लगातार 06.10.2023	जहरूल हक की अनुज्ञप्ति विधिवत् रद्द की गई है। विपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय में परिवादकर्त्ता को पक्षकार नहीं बनाकर तथ्यों को छुपाते हुए आदेश प्राप्त किया गया है। फलतः समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा दिनांक–25.12.2020 को पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता जहरूल हक (उत्तरवादी द्वितीय पक्ष) के क्रियाकलाप एवं खाद्यान्नों के वितरण में बरती गई अनियमितताओं के विरूद्ध कई कार्डधारी उपभोक्ताओं द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई को लिखित परिवाद दिये जाने के आलोक में प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, बारसोई द्वारा जाँचोपरांत पत्रांक–140 दिनांक–20.07.2020 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए अनुज्ञप्ति रद्द की गई थी। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी ने पाया कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत अनाज नहीं दिया जाना, राशनकार्ड निर्गत करने के नाम पर नाजायज राशि प्राप्त करना, कम मात्रा में खाद्यान्न देना तथा अधिक मूल्य प्राप्त करना आदि आरोप प्रमाणित पाये गये। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश में यह उल्लिखित है कि पूर्व में भी विक्रेता को हिदायत दिये जाने के बावजूद उनकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ। प्रस्तुत अपील लंबित रहने के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारसोई द्वारा दिनांक–09.06.2022 के निरीक्षण प्रतिवेदन में कई अनियमिततायें एवं प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज है। अनुज्ञप्तिधारी के मनमाने रवैये के विरूद्ध दैनिक समाचार पत्र दिनांक–11.06.2022 के ''प्रभात खबर'' में प्रकाशित है। समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा उक्त वाद में दिनांक–25.12.2020 को पारित आदेश में जनवितरण प्रणाली विक्रेता को स्पष्ट चेतावनी दर्ज है कि भविष्य में इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। बावजूद इसके उत्तरवादी द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं में कोई सुधार नहीं लाया गया और इनके विरूद्ध अनियमिततायें लगातार प्रतिवेदित है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी इन तथ्यों को स्पष्ट करते हुए अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को रद्द करने योग्य बताया गया है। ऐसे जनवितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति को बनाये रखना कदाचित समाज के हित में नहीं है।	

WebCopy Not Official.

		अतः उपर्युक्त के आलोक में जिला दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा दिनांक–25.12.2020 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई–सह–अनुज्ञापन प्राधिकार के आदेश ज्ञापांक–662/आ0 दिनांक–05.09.2020 द्वारा अनुज्ञप्ति सं0–03/1990 को रद्द किये जाने के आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए संपुष्ट किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.